12 नई-तालीम एवं यशपाल कमेटी [NAI-TALEEM AND YASHPAL COMMITTEE]

विषय–प्रवेश (INTRODUCTION)

अविनाशलिंगम् के शब्दों में–''बुनियादी शिक्षा हमारे राष्ट्रपिता का अन्तिम और सम्भवतः महानतम् उपहार है।''

"Basic education is the last and perhaps the greatest gift of the Father of our Nation." —**T. S. Avinashlingam :** *Understanding Basic Education*, p. 1.

हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी के इसी उपहार को ''**नई तालीम**'' और ''**वर्धा-शिक्षा-योजना**'' के नामों से भी पुकारा जाता है। उन्होंने यह उपहार सन् 1937 की किन परिस्थितियों में और किन व्यक्तियों के माध्यम से अपने देशवासियों को भेंट किया, इसका यथार्थ चित्र प्रस्तुत करते हुए, **ए0 एन0 बसु** ने लिखा है–''कांग्रेसी मन्त्रिमण्डलों के कार्यक्रम में दो मुख्य बातें थीं–जन-शिक्षा और नशा-निषेध। किन्तु, वे एक दुविधा में थे। नशा-निषेध का पक्षपोषण करने का परिणाम होता है –आय में भारी कमी, जबकि जन-शिक्षा के कार्यक्रम को वास्तव में प्रभावपूर्ण बनाने के लिए अत्यधिक व अतिरिक्त व्यय की आवश्यकता थी। इन दोनों विरोधी कार्यों में समन्वय किस प्रकार स्थापित किया जा सकता था ? उस अवसर पर गाँधीजी ने अपने स्वावलम्बी बुनियादी शिक्षा की योजना प्रस्तुत की।''

वर्धा–शिक्षा–सम्मेलन (WARDHA EDUCATIONAL CONFERENCE)

सन् 1937 में गाँधीजी वर्धा में थे। वहाँ के मारवाड़ी हाई स्कूल (वर्तमान नवभारत स्कूल) की रजत-जयन्ती का समारोह 22 और 23 अक्टूबर, 1937 को होने वाला था। उस अवसर पर भारत के प्रसिद्ध शिक्षाशास्त्रियों, राष्ट्रीय नेताओं और समाज-सुधारकों को आमंत्रित किया गया और ''**अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा-सम्मेलन**'' (All India National Education Conference) का गाँधीजी के सभापतित्व में आयोजन किया गया। इसी सम्मेलन को ''**वर्धा-शिक्षा-सम्मेलन**'' (Wardha Education Conference) भी कहा जाता है। सम्मेलन में उपस्थित व्यक्तियों के समक्ष, **महात्मा गाँधी** ने ''बेसिक शिक्षा'' की अपनी नवीन योजना प्रस्तुत करते हुए कहा–

"देश की वर्तमान शिक्षा-पद्धति किसी भी तरह देश की आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकती है। इस शिक्षा द्वारा जो भी लाभ होता है, उससे देश का कर देने वाला प्रमुख वर्ग संचित रह जाता है। अतः प्राथमिक शिक्षा का पाठ्यक्रम कम-से-कम सात साल का हो, जिसके द्वारा मैट्रिक तक का ज्ञान दिया जा सके, पर इसमें अंग्रेजी के स्थान पर कोई अच्छा उद्योग जोड़ दिया जाय। सर्वतोमुखी विकास के उद्देश्य से सारी शिक्षा जहाँ हो सके, किसी उद्योग के द्वारा दी जाय, जिससे पढ़ाई का खर्च भी अदा हो सके। जरूरी यह है कि सरकार उन बनाई हुई चीजों को राज्य द्वारा निश्चित की गई कीमत पर खरीद ले।"

इस प्रकार, गाँधीजी ने मैट्रिक के स्तर तक अंग्रेजी रहित उद्योग पर आधारित और मातृभाषा द्वारा सात वर्ष की स्वावलम्बी बेसिक शिक्षा की योजना प्रस्तुत की। तत्पश्चात् "सम्मेलन" में भाग लेने वाले शिक्षा-विशारदों ने गाँधीजी की योजना पर विचार-विमर्श करके निम्नलिखित प्रस्ताव पास किए—

1. इस "सम्मेलन" की राय में राष्ट्र के सब बच्चों को 7 वर्ष तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जानी चाहिए।
2. शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होनी चाहिए।
3. सात वर्ष की सम्पूर्ण अवधि में शिक्षा का मध्य-बिन्दु किसी प्रकार का हस्तशिल्प होना चाहिए, जिससे कुछ मुनाफा हो सके।
4. बच्चों को जो भी शिक्षा-दीक्षा दी जाय, वह केन्द्रीय हस्तशिल्प से सम्बन्धित होनी चाहिए और उसका चुनाव बच्चों के वातावरण को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए।
5. "सम्मेलन" आशा करता है कि इस पद्धति से धीरे-धीरे अध्यापक के वेतन का व्यय निकल जायेगा।

ज़ाकिर हुसैन समिति
(ZAKIR HUSSAIN COMMITTEE)

उपर्युक्त प्रस्तावों को पारित करने के पश्चात् "सम्मेलन" ने दिल्ली के "जामिया-मिलिया" के तत्कालीन प्रिंसिपल डाक्टर ज़ाकिर हुसैन की अध्यक्षता में एक समिति स्थापित की। इसी समिति को **"ज़ाकिर हुसैन समिति"** कहा जाता है।

"समिति" को गाँधीजी द्वारा व्यक्त किए जाने वाले शिक्षा-सम्बन्धी विचारों और "सम्मेलन" द्वारा पारित किए जाने वाले प्रस्तावों के आधार पर "नई तालीम" की योजना तैयार करने का काम सौंपा गया। "समिति" ने अपना पहला प्रतिवेदन, दिसम्बर, सन् 1937 में और दूसरा प्रतिवेदन, अप्रैल, सन् 1938 में प्रस्तुत किया।

प्रथम प्रतिवेदन में "समिति" ने तत्कालीन शिक्षा-पद्धति के दोषों, वर्धा-शिक्षा-योजना के सिद्धान्तों, उद्देश्यों, अध्यापकों, शिक्षक-प्रशिक्षण; विद्यालयों के संगठन, प्रशासन, निरीक्षण एवं परीक्षा-नियमों; और कताई-बुनाई को मुख्य हस्तशिल्प मान उसके पाठ्यक्रम का सविस्तार वर्णन किया।

द्वितीय प्रतिवेदन में "समिति" ने कृषि, मिट्टी का काम, लकड़ी का काम आदि कुछ अन्य हस्तशिल्पों को पाठ्यक्रम में स्थान दिया एवं इन शिल्पों और अध्ययन के समस्त पाठ्य-विषयों का वर्णन किया। उसने यह मत प्रकट किया कि हस्तशिल्पों का अन्य विषयों से सह-सम्बन्ध (Correlation) होना चाहिए।

"समिति" की प्रथम रिपोर्ट को फरवरी, सन् 1938 में हरिपुरा में होने वाले कांग्रेस अधिवेशन के समक्ष प्रस्तुत किया गया। अधिवेशन में "रिपोर्ट" को स्वीकार किया। यही "रिपोर्ट"—**"वर्धा-शिक्षा-योजना"** (Wardha Scheme of Education) के नाम से प्रसिद्ध है और **बुनियादी शिक्षा** का आधार है।

वर्धा-योजना की रूपरेखा
(OUTLINE OF WARDHA SCHEME)

''वर्धा-योजना'' अथवा ''बेसिक शिक्षा-योजना'' की रूपरेखा इस प्रकार है–

1. बेसिक शिक्षा के पाठ्यक्रम की अवधि 7 वर्ष की है।
2. यह शिक्षा 7 से 14 वर्ष तक के बालकों और बालिकाओं के लिए नि:शुल्क और अनिवार्य है।
3. शिक्षा का माध्यम मातृभाषा है।
4. पाठ्यक्रम में अंग्रेजी का कोई स्थान नहीं है।
5. सम्पूर्ण शिक्षा का सम्बन्ध किसी आधारभूत शिल्प (Basic Craft) से होता है।
6. शिल्प को बालकों की योग्यता और स्थान की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर चुना जाता है।
7. चुने हुए शिल्प की शिक्षा इस प्रकार दी जाती है कि वह बालकों को अच्छा शिल्पी बनाकर, उनको स्वावलम्बी बना देती है।
8. उक्त शिल्प की शिक्षा इस प्रकार प्रदान की जाती है कि बालक उसके सामाजिक और वैज्ञानिक महत्त्व से भली-भाँति परिचित हो जाते हैं।
9. शारीरिक श्रम पर बल दिया जाता है, ताकि बालक सीखे हुए शिल्प के द्वारा अपनी जीविका का उपार्जन कर सकें।
10. शिक्षा का बालक के जीवन, गृह एवं ग्राम से और उसके ग्राम के उद्योगों, हस्तशिल्पों और व्यवसायों से घनिष्ठ सम्बन्ध होता है।
11. बालकों द्वारा बनाई जाने वाली वस्तुएँ ऐसी होती हैं, जिनका प्रयोग किया जा सकता है या जिनको बेचकर विद्यालय का कुछ व्यय चलाया जा सकता है।

इस प्रकार, बेसिक शिक्षा की योजना में गाँधीजी के शिक्षा-दर्शन के मुख्य तत्वों का समावेश है।

बुनियादी शिक्षा नाम क्यों ?
(WHY TERMED BASIC EDUCATION ?)

अंग्रेजी के "Basic" शब्द का हिन्दी अर्थ है–''आधारभूत'' और उर्दू अर्थ है– ''बुनियादी''। क्योंकि यह शिक्षा निम्नलिखित कारणों के फलस्वरूप ''आधारभूत'' या ''बुनियादी'' मानी गई है, इसलिए इसका नाम ''बेसिक शिक्षा'' पड़ा है–

1. यह शिक्षा भारत की राष्ट्रीय सभ्यता, संस्कृति और शिक्षा-संगठन का आधार मानी गई है।
2. यह शिक्षा प्रत्येक भारतीय बच्चे के लिए अनिवार्य आधारभूत शिक्षा स्वीकार की गईहै।
3. यह शिक्षा प्रत्येक भारतीय की आधारभूत सामान्य सम्पत्ति है।
4. यह शिक्षा बच्चों की आधारभूत आवश्यकताओं और अभिरुचियों में घनिष्ठ सम्बन्ध स्थापित करती है।
5. यह शिक्षा सामुदायिक जीवन के आधारभूत व्यवसायों से सम्बन्धित है।
6. यह शिक्षा सभी भारतीयों को ऐसा आधारभूत ज्ञान प्रदान करती है, जो उनको अपने पर्यावरण को बुद्धिमत्तापूर्वक समझने और प्रयोग करने में सहायता देती है।

7. यह शिक्षा किसी आधारभूत शिल्प के द्वारा दी जाती है, जिसका प्रयोग व्यक्ति अपने भावी जीवन के निर्वाह के लिए कर सकता है।

इस प्रकार, जैसा कि स्वयं **गाँधीजी** ने लिखा है– "बुनियादी शिक्षा बच्चों को, चाहे वे नगरों के हों या ग्रामों के, भारत की समस्त सर्वोत्तम और स्थायी बातों से सम्बन्धित करती है।"

"Basic Education links the children, whether of the cities or of the villages, to all that is best and lasting in India." —**M. K. Gandhi :** *Constructive Programme*, p. 16

बुनियादी शिक्षा का पाठ्यक्रम (CURRICULUM OF BASIC EDUCATION)

बुनियादी शिक्षा के पाठ्यक्रम में निम्नलिखित विषय निर्धारित किए गए हैं–

1. आधारभूत शिल्प अग्रांकित शिल्पों में से कोई एक–(i) कृषि, (ii) कताई- बुनाई, (iii) लकड़ी का काम, (iv) चमड़े का काम, (v) मिट्टी का काम (खिलौने और बर्तन बनाना), (vi) पुस्तक-कला (कागज और कार्ड-बोर्ड का काम), (vii) मछली पालना, (viii) फल और सब्जी की बागवानी, (ix) गृह-विज्ञान (केवल बालिकाओं के लिए), (x) स्थानीय और भौगोलिक आवश्यकताओं के अनुकूल कोई अन्य उपयुक्त और शिक्षाप्रद हस्तशिल्प।

2. मातृभाषा।

3. गणित।

4. सामाजिक अध्ययन (इतिहास, भूगोल और नागरिकशास्त्र)।

5. सामान्य विज्ञान–(i) प्रकृति अध्ययन, (ii) वनस्पति-विज्ञान, (iii) जीव-विज्ञान, (iv) रसायन-शास्त्र, (v) स्वास्थ्य-विज्ञान, (vi) नक्षत्रों का ज्ञान, (vii) महान् अन्वेषकों और वैज्ञानिकों की कहानियाँ।

6. कला–संगीत और चित्रकला।

7. हिन्दी–जहाँ यह मातृभाषा नहीं है।

8. शारीरिक शिक्षा–व्यायाम और खेल-कूद।

बुनियादी शिक्षा के पाठ्यक्रम की विशेषताएँ (CHARACTERISTICS OF BASIC EDUCATION)

बुनियादी शिक्षा के पाठ्यक्रम की मुख्य विशेषताएँ निम्नलिखित हैं–

1. पाँचवीं कक्षा तक सह-शिक्षा है और बालकों एवं बालिकाओं के लिए समान पाठ्यक्रम है।
2. पाँचवीं कक्षा के पश्चात् बालकों और बालिकाओं के लिए पृथक् विद्यालयों की व्यवस्था है।
3. छठवीं और सातवीं कक्षाओं में बालिकाएँ आधारभूत शिल्प के स्थान पर गृह-विज्ञान ले सकती हैं।
4. सातवीं और आठवीं कक्षाओं में संस्कृत, वाणिज्य, आधुनिक भारतीय भाषाओं आदि की शिक्षा व्यवस्था है।
5. शिक्षा का माध्यम मातृभाषा है, पर राष्ट्रभाषा हिन्दी का अध्ययन सब बालकों और बालिकाओं के लिए अनिवार्य है।

पाठ्यक्रम का स्तर वर्तमान मैट्रिक के समकक्ष है।

पाठ्यक्रम में अंग्रेजी और धर्म का कोई स्थान नहीं है।

अपनी योजना में धर्म को स्थान न देने का कारण बताते हुए, **महात्मा गाँधी** ने लिखा है—"हमारी बेसिक-शिक्षा-योजना में से धार्मिक शिक्षा का बहिष्कार कर दिया गया है, क्योंकि हमें भय है कि आज जिन धर्मों की शिक्षा दी जाती है अथवा पालन किया जाता है, वे मेल के स्थान पर झगड़े उत्पन्न करते हैं। साथ ही मेरा विश्वास है कि बच्चों को ऐसी शिक्षा अवश्य दी जानी चाहिए, जिसमें सभी मुख्य धर्मों का सार सन्निहित हो। धर्म का यह सार केवल शब्दों और पुस्तकों से नहीं पढ़ाया जा सकता है। इसे तो बालक अपने शिक्षक की दैनिक जीवन-चर्या से ही सीख सकता है।"

बुनियादी विद्यालयों की समय–सारणी
(TIME-TABLE OF BASIC SCHOOLS)

बुनियादी विद्यालयों में प्रतिदिन 5 घण्टे कार्य होता है और अग्रांकित समय-सारणी का अनुसरण किया जाता है—

विषय	समय
1. आधारभूत शिल्प	3 घण्टे, 20 मिनट
2. मातृभाषा	40 "
3. संगीत, चित्रकला और गणित	40 "
4. सामाजिक अध्ययन और सामान्य विज्ञान	30 "
5. शारीरिक शिक्षा	10 "
6. अल्पावकाश	10 "
	कुल समय 5 घण्टे, 30 मिनट

टिप्पणी—प्रत्येक बुनियादी विद्यालय से एक वर्ष में 288 दिन कार्य करने की आशा की जाती है।

बुनियादी विद्यालयों के शिक्षक व उनका प्रशिक्षण
(TEACHERS OF BASIC SCHOOLS & THEIR TRAINING)

1. बुनियादी विद्यालयों के शिक्षक—बुनियादी शिक्षा-पद्धति में अध्यापक का स्थान अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। उसे सभी विषयों की शिक्षा किसी आधारभूत शिल्प के माध्यम से देनी पड़ती है। इस शिल्प का चयन विशिष्ट विद्यालय की स्थानीय और भौगोलिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर किया जाता है। अतः बुनियादी विद्यालयों में सामान्यतः उन्हीं शिक्षकों की नियुक्ति की जाती है, जो विद्यालयों से सम्बन्धित क्षेत्रों के निवासी होते हैं। शिक्षण-कार्य के लिए पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं को प्राथमिकता दी जाती है।

2. शिक्षक-प्रशिक्षण—बुनियादी विद्यालयों की सफलता प्रशिक्षित शिक्षकों पर निर्भर है। अतः इन विद्यालयों में यथासम्भव प्रशिक्षित अध्यापकों की ही नियुक्ति की जाती है। "बेसिक शिक्षा- योजना" को

सम्पूर्ण देश में शीघ्रातिशीघ्र क्रियान्वित करने के विचार से अध्यापकों के लिए निम्नांकित दो प्रकार के प्रशिक्षण की व्यवस्था है—

(i) **दीर्घकालीन-प्रशिक्षण**—इस प्रशिक्षण की अवधि 3 वर्ष की है। इसको शिक्षण-कार्य का अनुभव रखने वाले या न रखने वाले—दोनों प्रकार के व्यक्ति प्राप्त कर सकते हैं।

(ii) **अल्पकालीन-प्रशिक्षण**—इस प्रशिक्षण की अवधि 1 वर्ष की है। इसको केवल शिक्षण-कार्य का अनुभव रखने वाले व्यक्ति ही प्राप्त कर सकते हैं।

प्रशिक्षण-काल में छात्राध्यापकों को बुनियादी विद्यालयों के सभी विषयों की शिक्षण-विधियों का पूर्ण ज्ञान प्रदान किया जाता है क्योंकि उनको साहित्यिक विषयों के अतिरिक्त हस्तशिल्पों की भी शिक्षा देनी पड़ती है, इसलिए उनको मुख्य हस्तशिल्पों की शिक्षण-विधियों से भी परिचित कराया जाता है।

प्रशिक्षण-विद्यालयों में उन्हीं व्यक्तियों को प्रवेश दिया जाता है, जो या तो हाई स्कूल परीक्षा में उत्तीर्ण हो चुके हों, या वर्नाक्यूलर फाइनल परीक्षा में उत्तीर्ण होने के पश्चात् कम-से-कम दो वर्ष तक किसी विद्यालय में शिक्षण-कार्य कर चुके हों।

बुनियादी शिक्षण–विधि
(BASIC METHOD OF TEACHING)

रायबर्न के अनुसार—"बेसिक शिक्षा शिक्षण की विधि नहीं है। यह पाठ्यक्रम को निश्चित करने की विधि है। अध्यापक उन विधियों को प्रयोग करता है, जो सबसे अधिक रोचक और प्रभावपूर्ण सिद्ध हुई हैं। सब प्रगतिशील विधियों का बुनियादी शिक्षा में स्थान हो सकता है और प्रयोग किया जा सकता है।"

बुनियादी शिक्षा में चाहे जिस विधि का प्रयोग किया जाय, पर शिक्षण का वास्तविक कार्य क्रियाओं और अनुभवों पर अनिवार्य रूप से आधारित किया जाता है। दूसरे शब्दों में, शिक्षण-विधि इतनी व्यावहारिक होती है कि बालक विभिन्न विषयों का ज्ञान एक ही समय में प्राप्त करता है। साथ ही उसे यह ज्ञान थोड़े समय में प्राप्त हो जाता है।

बालकों को विभिन्न विषयों की शिक्षा स्वतन्त्र रूप में न दी जाकर, किसी आधारभूत शिल्प के माध्यम से प्रदान की जाती है। गणित, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विषयों आदि के शिक्षण में इसी विधि को प्रयुक्त किया जाता है। यदि किसी विषय के किसी भाग की आधारभूत शिल्प के माध्यम से शिक्षा नहीं दी जा सकती है, तो उसकी शिक्षा किसी अन्य विधि से दी जाती है।

पाठ्यक्रम के सब विषय परस्पर सम्बन्धित ज्ञान-क्षेत्रों के रूप में बालकों के सम्मुख प्रस्तुत किए जाते हैं। प्राकृतिक परिस्थिति, सामाजिक परिस्थिति और हस्तकला के माध्यम से अनेक विषयों का परस्पर सम्बन्ध स्थापित किया जाता है। बालक को अपनी रुचि के अनुसार हस्तशिल्प का चुनाव करने की स्वतन्त्रता दी जाती है।

बुनियादी शिक्षा के उद्देश्य
(AIMS OF BASIC EDUCATION)

बुनियादी शिक्षा के मुख्य उद्देश्य दृष्टव्य हैं—

1. आर्थिक उद्देश्य (Economic Aim)—इस उद्देश्य से दो अभिप्राय हैं—(i) बालकों द्वारा बनाई जाने वाली वस्तुओं को बेचकर विद्यालय के व्यय की आंशिक पूर्ति करना, और (ii) बुनियादी शिक्षा का

बालकों के पश्चात् बालकों का किसी उद्योग के द्वारा धन का अर्जन करना। इस सम्बन्ध में स्वयं **गाँधीजी** ने लिखा है—"प्रत्येक बालक और बालिका को विद्यालय छोड़ने के पश्चात् किसी व्यवसाय में लगाकर स्वावलम्बी बनाना चाहिए।"

2. नैतिक लक्ष्य (Moral Aim)—आधुनिक भारतीय समाज का अविराम गति से नैतिक पतन हो रहा है। अतः बुनियादी शिक्षा का एक मुख्य उद्देश्य है—बालक का नैतिक विकास करना। नैतिक शिक्षा में अपना विश्वास प्रकट करते हुए **गाँधीजी** ने लिखा है—"मैंने हृदय की संस्कृति या चारित्रिक निर्माण को सर्वोच्च स्थान दिया है। मुझे विश्वास है कि नैतिक प्रशिक्षण सबको समान रूप से दिया जा सकता है। इस बात से कोई प्रयोजन नहीं है कि उनकी आयु और पालन-पोषण में कितना अन्तर है।"

3. सांस्कृतिक उद्देश्य (Cultural Aim)—हमारी शिक्षा-प्रणाली का एक प्रत्यक्ष दोष यह है कि उसमें भारतीय संस्कृति का ज्ञान न कराया जाकर बालकों को पाश्चात्य आदर्शों और विचारों का भक्त बनाया जाता है। फलस्वरूप, वे अपनी परम्परागत संस्कृति से पूर्णतया अनभिज्ञ रहते हैं। इसके दूषित परिणाम को बताते हुए, **गाँधीजी** ने लिखा है—"यदि किसी स्थिति में पहुँच कर एक पीढ़ी अपने पूर्वजों के प्रयासों से पूर्णतया अनभिज्ञ हो जाती है या उसे अपनी संस्कृति पर लज्जा आने लगती है तो वह नष्ट हो जाती है।"

अपने इस विचार में दृढ़ विश्वास रखने के कारण गाँधीजी ने शिक्षा की अपेक्षा शिक्षा के सांस्कृतिक पक्ष को अधिक महत्त्व दिया है। इसी उद्देश्य से बुनियादी शिक्षा में भारतीय उद्योगों या शिल्पों को आधारभूत स्थान दिया गया है और शिक्षा को भारतीय संस्कृति के अनुरूप बनाया गया है।

4. नागरिकता का उद्देश्य (Aim of Citizenship)—जनतन्त्रीय शासन प्रणाली में प्रत्येक व्यक्ति शासन के प्रति उत्तरदायी होता है और राज्य के प्रति उसके कर्त्तव्यों में वृद्धि हो जाती है। किन्तु, इसके साथ-साथ उसे अनेक अधिकार भी प्राप्त हो जाते हैं। वह इन कर्त्तव्यों का पालन और अधिकारों का उपयोग तभी कर सकता है, जब वह उनके प्रति सजग हो। इसके लिए ऐसी शिक्षा आवश्यक है, जो उसमें नागरिकता के सब गुणों का विकास करे। बुनियादी शिक्षा इन गुणों के विकास में योग देती है।

5. त्रिविध विकास का उद्देश्य (Aim of Threefold Development)—भारत की वर्तमान शिक्षा- पद्धति में केवल बालक के मानसिक विकास पर बल दिया जाता है। उसमें बालक के शारीरिक और आध्यात्मिक विकास के प्रति रंचमात्र भी ध्यान नहीं दिया जाता है। इस प्रकार, बालक का केवल एकांगी विकास होता है। इसके विपरीत, बुनियादी शिक्षा में बालक के शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास के प्रति पूर्ण ध्यान दिया जाता है। पाठ्यक्रम में इस प्रकार के विषयों का समावेश किया गया है, जिनसे बालक का तीनों प्रकार का अर्थात् त्रिविध विकास होना निश्चित हो जाता है। इस विकास पर बल देते हुए **गाँधीजी** ने कहा है—"शिक्षा से मेरा अभिप्राय है—बालक और मनुष्य की सम्पूर्ण शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक शक्तियों का सर्वतोमुखी विकास।"

6. सर्वोदय समाज की स्थापना का उद्देश्य (Aim of Establishing Sarvodaya Samaj)—आज का सम्पूर्ण समाज स्वार्थ-सिद्धि की नीति का अनुसरण कर रहा है। यह समाज स्पष्ट रूप से दो वर्गों में विभक्त है—धनवान और धनहीन। ये दोनों वर्ग विकृत हैं—पहला, धन की प्रचुरता के कारण और दूसरा, धन के अभाव के कारण। बुनियादी शिक्षा का एक मुख्य उद्देश्य—इस "विकृत समाज" के स्थान पर "सर्वोदय समाज" की स्थापना करना है।

सर्वोदय समाज में श्रम का महत्त्व होगा, धन का नहीं; स्नेह और सहयोग की भावनाएँ होंगी, घृणा और पृथकता की नहीं; इस समाज में शोषण का स्थान सेवा; निज-हित का स्थान पर-हित और संचय की प्रवृत्ति का स्थान त्याग की प्रवृत्ति लेगी। बच्चों को इसी सर्वोदय समाज के लिए तैयार करने के विचार से बुनियादी शिक्षा द्वारा उनमें प्रेम, सहयोग, आत्म-बलिदान, आत्म-विश्वास आदि भावनाओं को